समुदाय द्वारा जल स्रोतों का प्रबंधन

दुनिया का इतिहास कहता है कि सभ्यताओं का विकास पानी के किनारों पर हुआ। नदियों, झीलों, झरनों के आस–पास सभ्यताएं विकसित हुई। यह पूरी दुनिया के लिए सच है। लेकिन थार के रेगिस्तान के लिए सच नहीं है। प्राकृतिक नदियां, झीलें, झरने नहीं है। थार की सभ्यता भी दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष विकसित हुई है। यह कैसे संभव हुआ ? इस को जानने के लिए विद्वानों, लेखकों, शोधकर्ताओं ने खोज की, तो मूल बात यह निकली कि यहां के समुदाय ने जल प्रबंधन की व्यवस्था उस जमाने में करली थी, जब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, आधुनिक औजार नहीं थे, कागज और कलम भी नहीं थी और आज की तरह लोक कल्याणकारी सरकारें भी नहीं थी।

अनुपम मिश्र जी की दो पुस्तकें ' राजस्थान की रजत बून्दे', और 'आज भी खरे हैं तालाब', समुदाय द्वारा रेगिस्तान में जल संग्रहण, प्रबंधन और उपयोग के ज्ञान को संग्रहित करने का प्रयास किया। इन दोनों पुस्तकों को मरूधरा की 'जल गीता' कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा।

उन्होंने आज भी खरे हैं तालाब पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा '' सैकड़ों, हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। यह इकाई, दहाई मिलकर सैकड़ों हजार बनती थी।''

राजस्थान की रजत बूंदें की शुरूआत इन सुनहरे शब्दों से होती है, ' कहते हैं मरूभमि को श्रीकृष्ण ने वरदान दिया कि यहां कभी जल का अकाल नहीं रहेगा। प्रसंग महाभारत युद्ध समाप्त होने का है। लेकिन मरूभूमि का समाज इस वरदान को पाकर हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ गया। उसने अपने को पानी के मामले में तरह–तरह से संगठित किया। गांव–गांव, शहर–शहर वर्षा की बूंदों को सहेज कर रखने के तरीके खोजे और जगह–जगह इनको बनाने का एक बहुत ही व्यावहारिक, व्यवस्थित और विशाल संगठन खड़ा किया। इतना विशाल कि पूरा समाज इसमें एक जी हो गया।''

समुदाय ने रेगिस्तान के धरातल, भूगर्भीय संरचना को समझा। बादलों से गिरने वाली बूंदों का हिसाब लगाया। धरातल और भूगर्भीय संरचना के अनुसार बरसात की बूंदों को सहेजने के लिए अलग–अलग प्रकार के जल स्रोतों का निर्माण किया। तालाब, जोहड़, नाडा, नाडी, बेरा, बेरी, बावड़ी, टांका, कुंड, झालरा और झीलों का निर्माण किया। पीढ़ियों तक इनकी उपयोगिता और शुद्धता बनी रहे, इसके लिए नियम कायदे बनाए जो मौखिक विधान बने। विधान संस्कार बन गये, परंपराएं बन गयी। पीढियों दर पीढ़ियों संस्कारों में घुलती रही जल प्रबंधन की इस परंपरा के कारण रेगिस्तान में जल की कमी तो रही, पर संकट नहीं रहा। आज भी रेगिस्तानी जिलों में तमाम तरह की जल योजनाओं के बावजूद पीने के पानी की साठ से सत्तर फीसदी पूर्ति इन जल स्रोतों से होती है।

उन्नति द्वारा रेगिस्तान में समुदाय की इस प्रबंधन व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया। नागौर जिले के जायल ब्लॉक के झाड़ेली क्षेत्र में उरमूल खेजड़ी के सहयोग से 25 फरवरी से 5 मार्च,2020 तक सहभागी शोध यात्रा में 40 गांवों में समुदाय के साथ वार्तालाप के जरिये इस प्रबंध व्यवस्था को समझा गया। बाड़मेर जिले के सिणधरी, पाटोदी ब्लॉक एवं आस–पास के क्षेत्रों में समुदाय से समझा गया। जल प्रबंधन के लोक विधान को समझने का प्रयास हुआ। प्रस्तुत है कुछ जल स्रोतों के विकास और प्रबंधन के कुछ नियम जिनके कारण आज भी खरे हैं रेगिस्तान के पारंपरिक जल स्रोत।

डेह गांव तहसील जायल जिला नागौर का नौसर तालाब

• नौ गांव के लोग पानी पीते थे, इसी कारण डेह के प्रसिद्ध तालाब का नाम नौसर तालाब पड़ा। नौ गांवों का सिरोली संसाधन था। समय के साथ बदलाव हुआ। अन्य गांव के लोग पानी तो पीते थे, लेकिन प्रबंधन व्यवस्था में सहयोग नहीं देते थे। डेह की जन संख्या बढ़ गयी। पनी कम पड़ने लगा, तब इसका आकार व गहराई को बढ़ाया व पानी उपयोग के तरीकों के नियम बनाए। आस–पास के गांवों में लोग कहते हैं कि बेटी देनी है, तो डेह में दो ताकि पानी का संकट नहीं झेलना पड़े। सरकारी योजनाओं के पानी का स्वाद चखा। कुछ दिनों में घुटनों व जोड़ों में दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास ईलाज के लिए गये, तो उन्होने बताया कि यह फ्लोराइड युक्त पानी का असर है। तब से हम गांव वाले इसी तालाब का पानी पीते हैं। मीठा, बिना फ्लोराइड वाला शुद्ध पानी है।

समुदाय के नियम

• टेंकर से पानी भरने पर पाबंदी, भरने पर दस हजार जुर्माना।

• ऊंट या बैल गाड़ी की टंकी से पानी ले जा सकते हैं। उनका पहिया पानी में नहीं डूबना चाहिए।

• तालाब में नहाने, कपड़ा धोने पर जुर्माना।

• आगौर में शौच व गंदगी करने पर दंड

• पानी कम होता है, तब सिर घड़ा ले जा सकते हैं।

• आगौर की जमीन पर कब्जा व मिट्टी खुदाई करना मना है। दंड गांव के लोग तय करते हैं।

• नियमों का पालन एवं तोड़ने वालों का ध्यान गांव के लोग रखते हैं, मुखियाओं को बताते हैं तथा तोड़ने वाले को गांव के बीच बुलाकर निर्णय करते हैं।

नियमों के पीछे कारण

• टेंकर वाले पानी बेचते हैं, तालाब का पानी समाप्त होने पर गांव के लोग परेशान होते हैं।

• पानी की शुद्धता व गुणवत्ता बनी रहे

• जरूरतमंद लोगों व जीव जुतुओं के लिए पानी सुरक्षित रह सके।

• आगौर व आगर सुरक्षित रहे, तालाब की उपयोगिता आगौर से बनती है।

• नियमों के कारण ही तालाब की उपयोगिता बनी हुई है।

चावली गांव, तहसील जायल, जिला नागौर का शिवसागर तालाब

पहले यहां पर एक छोटा सा नाडा था। वर्ष 1999 में अकाल राहत कार्य के दौरान उरमूल खेजड़ी संस्था के सहयोग से तालाब का निर्माण कराया गया और नाडा शिव सागर बन गया। लोगों को रोजगार मिला, साथ ही पीने के पानी का प्रबंध हो गया। इसी दौरान इसके प्रबंधन की व्यवस्था तय हुई। कुछ नियम बनाए गये। आज यह तालाब ना केवल पूरे गांव की प्यास बुझाता है, जैव विविधता को संरक्षण देता है। तालाब के आस–पास सैकड़ों प्रकार के पक्षी रहते हैं। हर साल साइबेरियन बर्डस भी आते है।

समुदाय के नियम

- देखरेख के लिए गांव के मुखिया लोगों की कमेटी बनी हुई है। नियम बने हैं। कोई समस्या आती है, तो नया नियम बना लेते हैं।
- कमेटी नियमों की पालना कराती है। नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूल करती है।
- तालाब से टेंकर से पानी भरने की मनाही है।
- सिर घड़ा से पानी ले जा सकते हैं।
- आगौर में शौच करना मना है। गंदा करने वालों को दंडित करने का नियम है। गांव के बीच दंड देते हैं। उससे मिट्टी निकलवाते हैं।
- साल में एकबार बरसात से पहले आगौर व तालाब को साफ करते हैं। कचरा बाहर फेंकते हैं।
- अमावश, पूर्णिमा को महिलाएं मिट्टी निकालने, आगौर साफ करने का काम करती है।
- कुरजां पक्षी आते हैं, उनको संरक्षण मिलता है। शिकार या परेशान करने की मनाही है।
- और भी बहुत से पक्षियों का वास है।

डिडिया कलां गांव, तहसील जायल, जिला नागौर का विश्नाई माता तालाब

• विश्ना नामक महिला की प्रेरणा से यह तालाब बना। तालाब खुदाई की शुरूआत उसने की, पूरा गांव एकजुट हो गया। पहले छोटा तालाब बना, आज बड़ा हो गया। गांव के लोग टेंकर से पानी लेजा सकते हैं। बरसात से दो–तीन महीने पहले देख लेते हैं कि कितना पानी बचा है। पानी कम पड़ता है, तो टेंकर बंद कर देते हैं। पशुओं व जीव जंतुओं के लिए पानी छोड़ देते हैं।

समुदाय के नियम

• दूसरे गांव के टेंकर को पानी भरने की मनाही है। भरने पर जुर्माना लगता है।

• गांव के टेंकर वाले भी दूसरे गांव में डालेंगे, तो उन पर भी जुर्माना है।

• आगौर में शौच व गंदगी करना मना है। गंदगी करने वालों को दंडित करते हैं।

• एक व्यक्ति रखा हुआ है, जो गोबर, कचरा एकत्रित करता है।

• खाद को बोली लगाकर निलाम करते हैं, पैसा तालाब में लगा देते हैं। गायों को चारा डालते हैं। देखरेख के लिए रखे गये व्यक्ति की मजदूरी में खर्च होता है।

• आगौर से मिट्टी खोदना, पेड़ काटना मना है।

• नियम टूटते हुए देखता है और बताता नहीं है, उस पर भी जुर्माना लगाते हैं।

• नियम तोड़ने की जानकारी मिलने पर गांव को एकत्रित करते हैं।

• जिस व्यक्ति को सफाई के लिए रखा है, वह गांव में हैला लगाता है। निर्णय आमसभा में होता है।

• गांव पंच तय करते हैं और पंचों का फैसला फाइनल होता है।

डिडिया खुर्द गांव, तहसील जायल, जिला नागौर का कुंभराव तालाब

कुंभाराम नामक हमारे पूर्वज ने इसकी खुदाई चालू कराई, इस लिए कुंभराव तालाब नाम पड़ा। पानी एकत्रित होने का स्थान (चौभ) 30 बीघा सहित कुल 378 बीघा आगौर व ओरण, गौचर है। साफ – सफाई की पूरी व्यवस्था है। सरकार व संस्थाओं के सहयोग से तालाब का विकास कार्य करवाते हैं। नहर का पानी आता है, फिर भी हम तालाब का पानी पीते हैं, यह शुद्ध है। 30 साल में कभी पूरा पानी समाप्त नहीं हुआ। यह तालाब हमारे गांव का सौदर्य है।

समुदाय के नियम

- दूसरे गांव के टेंकर को पानी भरने की मनाही है। भरने पर जुर्माना लगता है।
- गांव के टेंकर वाले भी दूसरे गांव में डालेंगे तो उन पर भी जुर्माना है।
- दूसरे गांव में किसी की मृत्यु, विवाह आदि होता है, तो टेंकर भरने की छूट है।
- आगौर में शौच, पेशाब करना मना है। किसी परिवार में सामाजिक कार्य में बाहर से लोग आते हैं तो उनको नियम बताने की जिम्मेदारी उस परिवार की होती है।
- अनजाने में कोई गंदगी कर देता है, तो उसी समय साफ करवाते हैं।
- गांव में शादी या बड़ा आयोजन होता है तो आगंतुकों को नियम समझाने की जिम्मेदारी आयोजकों की होती है। बारात आती है, तो गांव वाले भी उन्हें नियम बताते हैं।
- आगौर से गोबर कचरा साफ, एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति रखा हुआ है।
- वर्ष में एक बार गांव की मीटिंग करते हैं, खाद निलाम कर व्यक्ति को मजदूरी देते हैं।
- आगौर का सीमाज्ञान करवाया, निशान लगवाए, मिट्टी खुदाई, अतिक्रमण व पेड़ों की कटाई बंद है।
- नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना तय नहीं है, जरूरत होने पर गांव इक्कट्ठा होता है, निर्णय करता है।
- विदेशी पक्षियों का शिकार व उन्हें परेशान करना मना है।

नियमों के पीछे कारण

- नियम बनाने से पानी की शुद्धता और उपलब्धता बनी हुई है।
- गांव में सभी को नियमों का पता है, सभी पालन करते है।
- हमारे गांव के लिए पानी सुरक्षित रखते हैं। साल भर पानी मिल जाता है।
- आगौर साफ–सुथरा है, तो पानी शुद्ध रहेगा।
- आगौर का आकार व स्वरूप नष्ट नहीं हो, यह तालाब का दिल है।
- पिछले सौ सालों में गांव ने पानी के संकट के लिए सरकार को शिकायत नहीं की, व्यवस्था सुचारू रही, तो अगले सौ सालों में भी नहीं करेंगे।

रामसर गांव, तहसील जायल, जिला नागौर का तालाब

तीन सौ साल पहले बसा था गांव। संत सावंल दास की प्रेरणा से तालाब बना। गांव का क्षेत्रफल 1200 बीघा था, जिसमें 600 बीघा तालाब और आगौर व 600 बीघा काश्तकारी भूमि। भूमि कम होने के कारण तालाब को बचाने के लिए हमारे गांव के लोगों को तीन गांवों की कांकड़ छोड़ कर छः कलोमीटर दूर कृषि भूमि दी गई थी। आज भी हम खेती वहां करते हैं, बसावट यहां है। तालाब के आगौर के पास बसावट नहीं है, गंदा पानी नहीं आता। इस तालाब के पानी में कभी जीव नहीं पड़ते। हम इसे सावंल दास जी की कृपा मानते हैं। तालाब को लेकर गांव के लोगों द्वारा बनाई गयी प्रबंध व्यवस्था है जिसके कारण बारहोमास पानी मिल जाता है। नई पीढ़ी का रूझान इसे चलाने में कम हुआ है, जो चिंता का विषय है।

समुदाय के नियम

- टेंकर से पानी भरने की मनाही है। ऊंट या बैल गाड़ी की 500 लीटर की टंकी भर सकते हैं।
- बरसात के समय तालाब से बाहर आगौर में पानी पड़ा रहता है, तब तक टेंकर भर सकते हैं। मुख्य तालाब से नहीं भर सकते।
- नियम तोड़ने वालों को पहले समझाते हैं। नहीं मानते हैं, तो पुलिस कार्यवाही करते हैं। टेंकर वालों को रोकने के लिए तीन बार पुलिस कार्यवाही की, अब टेंकर वाले डरते हैं।
- पुलिस कार्यवाही के लिए हम गांव वालों ने जिला कलक्टर से आदेश करवा रखा है।
- तालाब के अंदर जाकर टंकी नहीं भर सकते। बाहर बाल्टी से भर सकते हैं।
- पशुओं को तालाब के अंदर पानी पिलाना मना है। बर्तन से बाहर पिला सकते हैं।
- दस–पंद्रह साल में एक बार खली कर मिट्टी निकलवाते हैं। तीन साल पहले मिट्टी निकाली थी।
- पंद्रह फुट गहराई तक मिट्टी निकलवाई। किसान मिट्टी खोद कर अपने खेतों में ले गये। एक पैसा खर्च नहीं हुआ। सरकार करवाती तो पांच करोड़ भी कम पड़ते।
- साफ–सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इसी कारण पानी साफ व शुद्ध है। पानी में कभी जीव नहीं पड़ते।
- अमावश व पूर्णिमा को श्रमदान से सफाई करते हैं। साल में एक बार बरसात से पहले पूरा गांव श्रमदान से आगौर की सफाई करता है।
- नियम लिखित नहीं है, लेकिन सबको जानकारी है। सब अपने से पालन करते हैं। कुछ लोग ही तोड़ते हैं, जिनके लिए दंड का प्रावधान है। गांव का निर्णय बड़ा होता है।

रोल शरीफ गांव, तहसील जायल, जिला नागौर का तालाब

रोल शरीफ गांव के लोगों को अपने तालाब पर बहुत गर्व है। वैसे तो शोध यात्रा के दौरान सभी गांवों के लोगों ने अपने गांव के तालाब को जायल तहसील में एक नंबर पर बताया, रोल शरीफ के लोग अपने तालाब को जिले के गिने–चुने तालाबों में से एक बताते हैं। यह एक गांव ऐसा मिला जहां सांय 4 बजे के बाद तालाब पर पनिहारियों का मेला लगता है। पक्षियों की चह–चहाट और पनिहारियों की हथाई यहीं देखने को मिलती है। पीने के लिए इसी तालाब का पानी गांव के सभी पलिडों में जाता है। गांव के लोगों ने बताया कि सवंत 2017, सन 1960 के बाद इस तालाब में कभी पानी समाप्त नहीं हुआ। खुदाई के लिए एक बार टेंकरों से खाली करवाया, लेकिन खाली होते ही बरसात आ गयी, फिर भर गया। 22 बीघा का भराव क्षेत्र (चौभ, आगर) है। साफ–सुथरा 100 बीघा से बड़ा आगौर है।

समुदाय के प्रबंधन के नियमः

- पहले टेंकर वालों को पानी भरने की छूट थी। वो पानी को बेचते थे। तालाब सूख जाता था। गांव में पानी की कमी हो जाती थी। ग्रामसभा में पंचायत ने निर्णय लिया तथा टेंकर से पानी उठाना बंद कर दिया।
- ऊंट, बैल गाड़ी की टंकी से पानी भर सकते हैं। सिर घड़ा पानी ले जा सकते हैं।
- आगौर की दिशा में कोई शौच करने नहीं जायेगा, घर, दुकान आदि का कचरा नहीं डालेगा। डालने वाले पर गांव जुर्माना तय करता है।
- आगौर से मिट्टी खोदना या वृक्ष काटना सख्त मना है। कोई ऐसा करता है तो गांव की कमेटी को खबर की जाती है। कमेटी गांव के लोगों को एकत्रित कर प्रकरण उसके सामने रखती है। गांव दंड तय करता है।
- तालाब पर नहाना, कपड़े धोना, हाथ मुंह धोना और पशुओं को अंदर लाकर पानी पिलाना मना है। ऐसा करने पर दंड का प्रावधान है।
- तालाब की देखरेख के लिए कमेटी बनी है। कमेटी समय–समय पर ध्यान रखती है। नियम तोड़ने वालों की जानकारी लोग कमेटी के सदस्यों को देते हैं।
- तालाब की देखभाल, पानी की उपलब्धता और शुद्धता को लेकर गांव एक राय है।

गांव डाबड़ भाटियान, ग्राम पंचायत एड सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर का तालाब

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन और महात्मा गांधी नरेगा से हुआ विकास कार्य

बाड़मेर जिले में डाबड़ भाटियान तालाब का समुदाय द्वारा प्रबंधन सीख देने वाला है। तालाब छोटा है, परंतु ग्राम पंचायत के चार गांव साल भर पानी का उपयोग कर सकें, इसके लिए समुदाय अपने पारंपरिक नियमों के साथ कुछ नये नियमों को जोड़कर व्यवस्था चला रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पिछले तीन सालों में समुदाय द्वारा दिए गये प्लान के आधार पर विकास कार्य करवाकर इसकी उपयोगिता को बढ़ाया। समुदाय व ग्राम पंचायत ने मिल कर व्यवस्था को मबजूत किया है। गांव के लोगों के बताए अनुसार पहले प्रतिवर्ष बरसात से पहले गांव के सभी परिवारों में से एक–एक व्यक्ति पूरे दिन श्रमदान कर आगौर की सफाई, मिट्टी निकालने का काम करते थे। अब घर दीठ राशि एकत्रित करते हैं, उससे सफाई आदि का काम करवाते हैं।

ग्राम पंचायत व समुदाय ने मिल कर किया तालाब का विकास

समुदाय के प्रबंधन के नियमः

- तालाब प्रबंधन के लिए एक कमेटी बनी हुई जो निर्णय लेती है और लागू करवाती है।
- ग्राम पंचायत के गांवों के अतिरिक्त अन्य गांव के टेंकर नहीं भर सकते।
- ग्राम पंचायत के अतिरिक्त गावों में किसी की मृत्यु आथवा सामाजिक कार्य होता है तो कमेटी टेंकर भरने की छूट देती है।
- आगौर में गंदगी करना मना है। करने पर कमेटी के लोग दंडित करते हैं।
- आगौर की साफ–सफाई व तालाब से बाहर के लोग टेंकर नहीं भरें, इसका ध्यान रखने के लिए एक व्यक्ति को रखा गया है। ग्राम पंचायत के टेंकर भरने पर तय शुल्क से उसकी मजदूरी देते हैं। राशि कम पड़ती है तो जन सहयोग एकत्रित करते हैं।

गांव इकडाणी, ग्राम पंचायत भाखरसर, पंचायत समिति पाटोदी, जिला बाड़मेर का तालाब

इकडाणी व आदमपुरा दो गांवों का साझा तालाब है। आदमपुरा इकडाणी से अलग हुआ राजस्व गांव है, इस लिए इस गांव में इकडाणी तालाब पर हक है। तालाब में बारह महीने पानी रहता है तथा दोनों गांवों की पूर्ति साल भर हो जाती है। प्रबंधन व्यवस्था गांव के लोग चलाते हैं। दोनों गांवों के जातिवार मुखियाओं को मिलकार कमेटी का गठन किया गया है। पाटोदी पंचायत समिति के जाने–माने तालाबों में से एक है इकडाणी का तालाब।

समुदाय के प्रबंधन के नियमः

- प्रबंधन व्यवस्था संचालन के लिए जातिवार लोगों की सदस्यता लेकर कमेटी गठित है।
- इकडाणी व आदमपुरा दो गांवों के अतिरिक्त अन्य गांवों के टेंकर तालाब से पानी नहीं भर सकते।
- गांव बस्ती में टेंकर से पानी सप्लाई के इच्छुक ट्रेक्टर वाले कमेटी के पास आवेदन लगाते हैं। 10 हजार रू. अग्रिम जमा करवाते हैं। टेंकर वाला गांव के बाहर पानी डलता है, तो 10 हजार रू. वापस नहीं लौटाते और टेंकर पर पानी भरने की पाबंदी हो जाती है।
- दोनों गांव के लोग तालाब से टेंकर द्वारा पानी मंगवाते हैं उसका कोई पैसा नहीं लेते। दो–तीन साल में लगता है कि तालाब में मिट्टी अधिक जमा हो गयी है, तो कमेटी सदस्यों को जन सहयोग एकत्रित करने का काम सौपा जाता है।
- मिट्टी निकालने के लिए कितनी राशि की जरूरत होगी, कमेटी के लोग अनुमान लगाते हैं, उसके आधार पर प्रति परिवार राशि तय होती है।
- तालाब में पानी कम पड़ने लगता है, तब टेंकर बंद कर देते हैं। पशुओं व जंगली जानवरों, पक्षियों के लिए तथा जिन परिवारों के पास स्टोरेज का साधन नहीं है, वे मटके से पानी ले जा सकें, उनके लिए पानी सुरक्षित रखते हैं।
- जन सहयोग का एलान होने पर कमेटी के सदस्य किसी के पास मांगने नहीं जाते, प्रत्येक परिवार खुद आकर जमा कराता है। नहीं कराने वालों का पानी बंद कर देते हैं। गरीब परिवार नहीं दे पाते हैं, तो उनको छूट दी जाती है। वो स्वयं श्रमदान कर सकते हैं।
- गांव के सभी लोग ध्यान रखते हैं और नियम टूटने पर कमेटी को सूचना देते हैं।

गांव कोरना, ग्राम पंचायत कोरना, पंचायत समिति कल्याणपुर, जिला बाड़मेर का तालाब

गूगल पर कोरना गांव लिख कर सर्च करेंगे, तो गांव के जल स्रोतों व चारागाह को बचाने के समुदाय के संघर्ष के जीत की कहानी मिल जाएगी। गांव की कुल 2800 बीघा गौचर और आगौर में छोटे मोटे 18 तालाब हैं। 2016 में राज्य सरकार पॉवार ग्रीड स्टेशन बनाने के लिए 400 बीघा भूमि आवाप्त करना चाहती थी। पंचायत पर एनओसी देने दबाव बना। ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा बुलाई। समुदाय को सरकार की मन्सा बताई। गांव वालों ने तय किया कि एक इंच जमीन नहीं देंगे। राज्य स्तर तक लडाई में सफलता नहीं मिली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया। एनटीजी ने ग्रामीणों के हक में फैसला देते हुए सरकार को निर्देश दिए कि भविष्य में भी इस भूमि का अन्य प्रयोजन में उपयोग नहीं होगा। प्रवासी व देशी पक्षियों का पड़ाव लगा रहता है। बाहर से पर्यटक आते हैं। पिछले पांच सालों में इसे मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया है। बाड़मेर जिले का नंबर एक तालाब है।

समुदाय के प्रबंधन के नियमः

- हम गांव के लोग इन तालाबों का पानी पीते हैं। इनकी शुद्धता बनी रहे, आगौर में शौच व गंदगी करने पर पाबंदी है।
- गांव का पानी तालाब में आने से रोकने के लिए बंधा बनाया गया है।
- आस–पास के 20 गांव इन तालाबों पर निर्भर हैं। पानी ले जाने की किसी को मनाही नहीं है।
- आगौर व गौचर में 20 हजार पशु चरते हैं, पेड़ों की कटाई व छंगाई करना मना है।
- गांव की कमेटी बनी हुई है। आगौर व तालाबों की देखभाल करती है। गांव के मुख्य तालाब से टेंकर नहीं भरने देते।
- यहां पर हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं। इस तालाब को जीव–जंतुओं के लिए सुरक्षित रखते हैं। एनटीजी ने जैव विविधता सरंक्षण के तर्क के आधार पर ही फैसला गांव के हक में दिया था।

गांव गोठ, तहसील जायल, जिला नागौर का तालाब

तीस बीघा में पानी का ठहराव (चौभ, आगर) व हजार बीघा के लगभग आगौर व चारागाह। गांव के उपयोग के लिए वर्ष भर पानी सुरक्षित रहता है। तालाब और शामलात पर हमारा जीवन चलता है। इसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। नियम अपनी जगह है, लेकिन गांव वालों का तालाब के साथ लगाव बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ियां हमें देख कर ही सीखते हैं। हम तालाब की कद्र करते हैं, तो बच्चे भी कद्र करना सीखते हैं। अमृत सा मीठा पानी कहां मिलेगा। योजनाएं आती है, चलती है, थक जाती है। यह तालाब सैकड़ों सालों से कायम है, थका नहीं है। यह हमें कुछ देता है, तो हमें भी इसे वापस कुछ देना चाहिए। इस बात को हम गांव के लोग सदैव ध्यान में रखते हैं।

समुदाय के प्रबंधन के नियमः

- तालाब के आगौर में गंदगी करना सख्त मना है। गांव के लोग नहीं करते। बाहर से आने वालों को पहले बता देते हैं।
- साफ–सफाई के लिए एक व्यक्ति रखा हुआ है। वह गोबर कचरा एकत्रित करता है। साल में एक बार निलाम कर उससे होने वाली आय से उस व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान करते हैं।
- गांव वालों के लिए टेंकर से पानी ले जाने की छूट है। अन्य गांवों के लिए टेंकर से पानी ले जाना बंद है।
- बरसात से पहले अमावश या पूर्णिमा का दिन तय कर, पूरे गांव के लोग श्रमदान करते हैं। आगौर साफ करते हैं। गड्डे आदि भरते हैं। अनुपयोगी घास झाड़ियां काटते हैं।
- अन्य गांवों में शादी अथवा मृत्यु जैसा काम होता है तो पानी ले जाने की छूट देते हैं। पहले पता करते हैं कि किसके घर में एसा काम पड़ा है।
- एक बार मृत्यु का बहाना कर पास के गांव में एक व्यक्ति टेंकर भरा कर ले गया। पता चला, तो गांव वाले गये तथा टेंकर पशुओं की खेली में खाली कराया।

गांव गुगरयाली, तहसील जायल, जिला नागौर का तालाब

कब बना, किसने बनाया पता नहीं। हमने तो समझ पकड़ने के बाद इस तालाब को ऐसा ही देखा है। नियम भी पुरखों के बनाए चले आ रहे हैं। समस्या आने पर नए नियम गांव जोड़ देता है। गांव का गंदा पानी तालाब में नहीं जाने देते। देखभाल के लिए कमेटी बनी है। जितना साफ–सुथरा आगौर, उतना ही निर्मल पानी। सरकार की योजना से पानी सप्लाई आती है, लेकिन पीने के लिए तालाब का पानी उपयोग करते हैं। यह पानी मुंह लगा हुआ है। दूसरे पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। पाइप लाइने बिछती है, टंकियां, होदियां बनती है, लाखों रूपये खर्च होते हैं। सप्लाई का खर्चा अलग होता है। तालाब में साल भर का पानी मुफ्त में मिलता है। सार–संभाल व मरम्मत जैसा काम करते रहना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, इसका संचालन और प्रबंधन हमारे हाथ में है।

समुदाय के प्रबंधन के नियमः

- तालाब से टेंकर से पानी भरना मना है। भर कर ले जाता है, तो रोकते हैं। नहीं मानते हैं तो पुलिस कार्यवाही करते हैं।
- ऊंट व बैल गाड़े की टंकी या सिर घड़ा पानी ले जा सकते हैं।
- आगौर की तरफ शौच, पेशाब व कचरा डालने की मनाही है। दंड तय किया हुआ है।
- आगौर से मिट्टी की खुदाई करना मना है।
- शादी व अन्य सामाजिक समारोह में बाहर से लोग आते हैं तो उनको नियम बता देते हैं। उसके बाद नियम तोड़ते हैं, तो उन पर दंड लगाते हैं।
- आगौर की सीमा का ज्ञान है। किसी को कब्जा नहीं करने देते।
- तालाब पर बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर मुख्य नियम लिखे गये थे। अब मिट गये हैं, दुबारा लिखवाएंगे।

गांव रूणिया, तहसील जायल, जिला नागौर का तालाब

जितना बड़ा भराव क्षेत्र (चौभ, आगर) उतना ही बड़ा साफ–सुथरा आगौर और उतना ही निर्मल है रूणिया तालाब का पानी। अनुपम मिश्र जी ने ठीक ही लिखा है कि बहता पानी निर्मला वाली कहावत मरूधरा में उलट जाती है। समुदाय की सूझ–बूझ से बनाये गये तालाबों में खड़ा पानी भी निर्मल रहता है।

गांव के लोग भी ठीक व्याख्या करते हुए बताते हैं कि आगौर ही तालाब की जान है। आगौर साफ–सुथरा है तो बारह महीने पानी साफ रहता है। आगौर की सार–संभाल का पूरा ध्यान रखते हैं। वर्ष भर तालाब से शुद्ध जल मिलता है।

समुदाय के प्रबंधन के नियमः

- कोई औचारिक कमेटी नहीं है। तालाब के संबंध में कोई निर्णय लेना होता है, गांव के मानीजते लोगों की राय से आमसभा बुलाते हैं, उसमें निर्णय लिया जाता है।
- गांव के लोग टेंकर से पानी भर सकते हैं। बरसात से दो–तीन माह पहले अंदाजा लगाते हैं कि अगले तीन माह पानी पूरा पड़ेगा या नहीं। पानी कम रहता है, तब टेंकर बंद करते हैं।
- आगौर में गंदगी करना मना है। शौच, पेशाब करना व कचरा डालना मना है। कोई नियम तोड़ता है तो गांव वाले दंड लगाते हैं।
- आगौर सीमाज्ञान नहीं कराया। लेगों को ज्ञान है। आगौर में कब्जा नहीं करने देते। कोई करता है, तो रोकते हैं। फिर भी नहीं मानता तो कानूनी कार्यवाही करते हैं।
- तालाब के विकास के लिए ग्राम पंचायत में प्रस्ताव देते हैं।
- महिलाएं अमावश व पूर्णिमा को मिट्टी निकालने व आगौर को साफ करने का काम करती है।

गांव सोनेली, तहसील जायल, जिला नागौर का तालाब

सोनेली का तालाब

लोगों के बताए अनुसार 500 साल पुराना तालाब है। 1800 बीघा आगौर और गोचर है। चारों तरफ खाई फन्सिंग की हुई है। गांव की तरफ दीवार बनाई ताकि गांव का गंदा पानी तालाब में नहीं आए। पुरखों की पुण्याई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा गांव प्रबंध व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करता है। ग्राम पंचायत से समय–समय पर तालाब के विकास का काम करवाते हैं। बरसात ठीक हो, तो बारह महीने गांव को पीने का पानी मिल जाता है। पशुओं को चारा मिल जाता है। आवार पशुओं की भी व्यवस्था करते हैं। खेती के सीजन में उनको गौचर में चराने के लिए आदमी रखते हैं। चारा कम पड़ता है, तो पूरे गांव से पैसा एकत्रित कर चारे की व्यवस्था करते हैं ताकि आवारा पशु खेतों में नुकसान नहीं करे। व्यक्तिगत पशु चार माह के लिए खुली चराई बंद करते हैं।

आगौर से पानी तालाब में लाने के लिए बनाए गये चैनल

समुदाय के प्रबंधन के नियमः

- गांव के लोग टेंकर से पानी भर सकते हैं। दूसरे गांवों में मृत्यु या विवाह आदि सामाजिक समारोह के लिए छूट है। गांव के मुखियाओं की कमेटी से स्वीकृति लेनी पड़ती है।
- आगौर में गंदगी करना मना है। शौच, पेशाब करना व कचरा डालना मना है। नियम तोड़ने वालों पर 1100 रू. का जुर्माना है। गांव के बाहर का व्यक्ति आकर गंदगी करता है, तो जिस परिवार में आया है, उससे जुर्माना वसूल लेते हैं।
- आगौर, गौचर से मिट्टी खोदना, पेड़ काटना मना है।
- दाह संस्कार के बाद तालाब पर नहाने आते हैं। बाल्टी भर कर बाहर नहाते हैं। नहाने से पहले सभी लोग तालाब से मिट्टी निकालते हैं। ऐसी मान्यता है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है।
- तालाब के अंदर नहाना, कपड़े धोना मना है।
- गौचर में गांव के पशु चरते हैं। खेती के सीजन में केवल आवारा पशु चराने की व्यवस्था है। दो ग्वाले रखते हैं। आवारा पशुओं के लिए चारा कम पड़ जाता है, तो घर दीठ चंदा करते हैं, जागरण लगाते हैं, उससे जो पैसा आता है, उससे चारा खरीद कर डालते हैं।
- निजी पशुओं को चार महीने खुली चराई बंद करते हैं। उनको अपने खेत में चराई करानी है।
- गांव के मुखियओं की कमेटी बनाई हुई है। आम सभा में निर्णय होता है, जिसे सभी मानते हैं।

बरसात से पहले पानी आवक के खालों की सफाई करना

गांव बागावास, पंचायत समिति पाटोदी, जिला बाड़मेर का गवंई तालाब

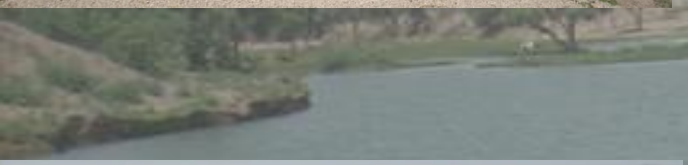

बागावास के कुल पानी की खपत की सत्तर फीसदी पूर्ति मुख्य गवंई तालाब और आस–पास के छोटे–मोटे नाडों से होती है। तालाब जल से भरा होता है, तो इसकी सुदरता देखने लायक होती है। समुदाय की देखभाल और ग्राम पंचायत द्वारा इसके विकास पर हर साल निवेश करते रहने से इसकी उपयोगिता बनी हुई है। जन और धन (पशु) इस तालाब पर निर्भर है। ठहरे पानी से जीवन चलता है। लोगों की आजीविका चलती है। कब और किसने बनाया, इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, आज की पीढ़ी के लोग बस इतना बताते हैं कि बहुत पुराना है। हमारे पुरखों ने बनाया था। आज तो सरकार से विभिन्न योजनाओं से जल स्रोतों के विकास के लिए पैसा आता है। पहले गांव के लोग तेवड़ लेते थे कि यहां तालाब बनाना है, बस पूरा गांव जुट जाता था और देखते ही देखते तालाब बन जाता था।

समुदाय के प्रबंधन के नियमः

- आगौर में शौच, पेशब व गंदगी करना मना है। गांव का पानी तालाब नहीं जाने देते। पूरे गांव को पता है कि आगौर की दिशा में शौच के लिए जाना मना है।
- बागावास कांकड़ में टेंकर से पानी डाल सकते हैं, दूसरे गांवों में टेंकर डालना मना है। डालने पर जुर्माना लगाते हैं।
- कमेटी बनी हुई है, जो तालाब की देखभाल करती है। ग्राम पंचायत का भी सहयोग है।
- ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष महात्मा गांधी नरेगा के तहत आगौर की सफाई व तालाब में पानी के बहाव के साथ आई मिट्टी को निकालने का काम होता है।
- महिलाएं अमावश पूर्णिमा, ग्याहरस तिथियों में तालाब की मिट्टी निकालती है, आगौर साफ करती है।
- आगौर क्षेत्र से पेड़–पौधों की कटाई, छंगाई करना प्रतिबंधित है।

पालर और रेजाणी पाणी का संगम चिलानाडी, पंचायत समिति पाटोदी, जिला बाड़मेर का तालाब

छोट मुंह और बड़ी बात। हां चिलानाडी के तालाब के लिए यह कहावत सही है। छोटा आगौर और साल भर पानी की उपलब्धता। चिलानाडी का तालाब रेगिस्तान के उन तालाबों में से एक है जहां पालर यानी जमीन पर बहने वाले पानी को तालाब, नाडी में सहेज कर रखना। रेजाणी पानी पाताल और धरातल के बीच का पानी। आगर व आगौर में बनी कुइयों, बेरियों में धरातल से रिस–रिस कर पाताल के खारे पानी में मिलने से रोका गया पानी। रेगिस्तान में जहां खड़िया मिट्टी (खड्डी) जिप्सम, मुल्तानी व क्ले की पट्टी है, जो जमीन में रिसने वाली पानी को पाताल में जाने से रोकती है, वहां समुदाय ने बेरियां, कुदयां बनाई। बेरियां, कुइयां भी जल को सहेजने का पारंपरिक स्रोत है जो चूरू, बीकानरे, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के गांवों में देखने को मिलती है। चिलानाडी व आस–पास के कई गांवों में बेरियां बनी हुई है जिनसे साल भर पीने का मिलता है।

समुदाय के प्रबंधन के नियमः

- आगौर छोटा है, उसे साफ–सुथरा रखते हैं। कचरा फैंकना, शौच व पेशाब करना मना है।
- गांव का पानी तालाब में नहीं जाने देते।
- टेंकर भरना मना है। सिर घड़ा पानी ले जा सकते हैं।
- आगौर छोटा है, इस लिए साफा–सुथरा रखना जरूरी है, ताकि बरसात का सारा पानी तालाब में आ जाए।
- आस–पास के घरों वाले ध्यान रखते हैं, कोई नियम तोड़ता है, तो पंचायत को अवगत कराते हैं। पंचायत कार्यवाही करती है।
- पहले तालाब से पानी लेते हैं। तालाब का पानी समाप्त होने के बाद बेरियों से पानी लेते हैं। साल भर पीने का मीठा पानी उपलब्ध रहता है।
- ग्राम पंचायत व गांव के लोग मिल कर तालाब व बेरियों की सफाई, मरम्मत का प्लान बनाते हैं। हर साल काम कराते हैं।
- बरसात से पहले गांव के लोग श्रमदान करते हैं, आगौर, तालाब, बेरियों की सफाई करते हैं।
- जूता, चप्पल पहन कर बेरियों पर चढ़ना मना है।

बींझरवाली पंचायत समिति लूनकरनसर, जिला बीकानेरः नाडा व बेरियां है पेयजल का प्रमुख स्रोत

सात सौ सालों में पेयजल की कई योजनाएं आईं और बंद हो गयी। लेकिन नाडा और बेरियां आज भी पेयजल का प्रमुख साधन बनी हुई है। पानी की होदियां बनी, दूसरे गांव से पाइप लाइन द्वारा बेरे का पानी लाया गया। कभी पाइप लाइन टूट जाती, तो कभी विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती। बेरे का पानी समाप्त हुआ, तो इंदिरा गांधी नहर का पानी पाइप लाइन द्वारा सप्लाई करना चालू हुआ। लेकिन वह भी भरोसेमंद नहीं रही। पाइप लाइन का टूटना और विद्युत सप्लाई का बाधित होना समस्या बनी रही। योजनाकारों ने तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन गांव के लोगों ने सीख लेली कि बादलों को देखकर घड़ा नहीं फोड़ना है। पुरखों के बनाए नाडे और आगौर में बनी सौ के लगभग बेरियों की सारसंभाल को जारी रखा। पानी के मामले में यह गाव स्वावलंबी है।

समुदाय के प्रबंधन के नियमः

- अगौर क्षेत्र में शौच, पेशाब एवं गंदगी डालना प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर व्यक्ति या परिवार को बुलाकर उठवा कर बाहर डलवाते हैं।
- गांव का पानी आगौर में नहीं आए इसके लिए बंधा बनवाया गया है।
- ट्रेक्टर टेंकर से पानी भरना प्रतिबंधित है। ऊंट गाड़ा टंकी या मटकों से पानी भर सकते हैं।
- नाडे का पानी पशुओं के पीने व अन्य घरेलू जरूरतों के लिए काम में लेते हैं।
- पीने का पानी बेरियों से प्राप्त करते हैं। आगौर में एक परिवार की एक बेरी है। बेरियों पर ताला लगा रहता है। पीने की जरूरत के अनुसार महिलाएं मटकों से पानी ले जाती है। जिन परिवारों के पास ऊंट या बैल गाड़ी है, वह टंकी से पानी ले जाता है।
- देखरेख के लिए गांव के मुखियाओं की कमेटी बनी हुई है जिसमें जातिवार सभी समुदयों का प्रतिनिधित्व है।
- कुई खराब हो जाती है, या परिवार को नई कुंई बनाने की जरूरत है, तो कमेटी को अवगत कराते हैं। कमेटी स्थान बतानी है, उसके बाद नई कुंई बनती है।
- बेरियों के आस–पास महिलाएं झाडु निकाल कर साफ करती है, इससे आगौर भी साफ रहता है।